रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 1988/ भाद्र 26, 1910

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1988/BHADRA 26, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 729.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर तथा त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1988 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक और उसके अंतर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मणिपुर—त्रिपुरा"

1 राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	51
मणिपुर सरकार के अधीन पद	31
पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उप-महा निरीक्षक (ऑपरेशन और ए. पी.)	1
पुलिस उप-महा निरीक्षक	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (सी. आई. डी.)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक (ऑपरेशन)	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक (अस्थायी आवास एवं कल्याण)	1
पुलिस अधीक्षक	8
पुलिस अधीक्षक (सी. आई. डी.)	1
पुलिस अधीक्षक (अपराध)	1
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1

2246 GI/88—1

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 734.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 के नियम 45 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"45—नियमों का केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपूरक होना : (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश नजूल भूमि के संबंध में कार्रवाई करने के लिए इन नियमों के उपबंधों के अनुपूरक होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।"

[फा. सं. के-11011/60/81-डी डी I बी/II बी]

स. प्र. सिंगल, निदेशक (डीडी)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd August, 1988

G.S.R. 734.—In exercise of the powers conferred by Clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Lands) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Official Gazette*.

2. For sub-rule (1) of rule 45 of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the following shall be substituted, namely :—

"45. The directions of the Central Government to be supplementary to rules.—(1) The directions given, from time to time, by the Central Government under sub-section (3) of section 22 of the Act, shall be supplementary to, but not in derogation of the provisions of these rules, for dealing with the Nazul Land".

[F. No. K-11011/60/81-DDIB/IIB]

S.P. SINGAL, Director (DD)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 735.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन के विभिन्न यूनिटों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह "ग" भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
हिंदी अनुवादक (कनिष्ठ)	21* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2 : ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिंदी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी हो या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिंदी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री और हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (क) (1) जो सदृश पद धारण करते हैं या (2) जिन्होंने 1200-2040 रुपए के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है या (3) (जिन्होंने 950-1500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (1) केन्द्र निदेशक या संबंधित कार्यालय का प्रधान--अध्यक्ष (2) हिंदी अधिकारी या संबंधित कार्यालय में समतुल्य संस्थिति का अधिकारी.....सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या 501/1/88-टी.सी.(ए)]

विन्दर कुमार अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 31st August, 1988

G.S.R. 735.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment of Junior Hindi Translator posts in various units of Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called Junior Hindi Translator Group 'C' recruitment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(ii) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be record in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
HINDI TRANSLATOR (JUNIOR)	21* (1988) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Not-applicable	No.	28 Years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) Notes: In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational & Other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Master's degree of a recognised University in Hindi/English, with English/Hindi as a compulsory elective subject or as a medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/elective subjects for either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level. OR Bachelor's degree of a recongised University, with Hindi and English as compulsory/elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognised Diploma/Certificate course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices, including Government of India Undertakings.	Not applicable	2 years

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
11	12	13	14
(i) 50 percent by direct recruitment failing which by transfer on deputation.	Transfer on deputation from amongst officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous post or (ii) in the pay scale of Rs. 1200—2040 with 3 years regular service in the grade; or	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation etc.) (i) Station Director or (ii) Head of office concerned — Chairman	Not applicable
(ii) 50 percent by transfer on deputation.	(iii) in the pay scale of Rs. 950—1500 or equivalent with 5 years reguler service in the grade; and (b) Possessing educational and other Qualifications laid down in Col.8 for direct recruits. Note : Period of deputation including the period of deputation/any other ex-cadre post held immediatley preceding this appointment in the same or some other same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	(ii) Hindi Officer or an officer of equivalent status in the the respective office — Member	

[No. 501/1/88-TV (A)]
V.K. ARORA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 736.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में (क) कन्सोल आपरेटर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 12 के नीचे प्रोन्नति से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा। अर्थात् :—

"विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में ऐसे कनिष्ठ डाटा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न होने पर विज्ञापन दृश्य प्रचार और निदेशालय में कनिष्ठ डाटा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सहायक जिन्होंने कनिष्ठ डाटा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सहायक और डाटा एंट्री आपरेटर की श्रेणियों में कुल मिलाकर 10 वर्ष नियमित सेवा की है।"

(ख) कनिष्ठ डाटा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यक 2 के सामने स्तम्भ 12 के नीचे प्रोन्नति से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रोन्नति :—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटर जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।"

[सं. ए. 12034/11/87-स्था.]
एच. एस. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st August, 1988

G.S.R. 736.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend (the Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1987, in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987 ;—

(a) against Serial No. 1 relating to the post of Console Operator, under column 12, for the existing entry relating to promotion, the following shall be substituted namely :—

"Junior Data Processing Assistant in the Directorate of Advertising and Visual Publicity with 5 years regular service in the grade, failing which Junior Data Processing Assistant in the Directorate of Advertising and Visual Publicity with 10 years combined regular service in the grades of Junior Data Processing Assistant and Data Entry Operator."

(b) against Serial No. 2 relating to the post of Junior Data Processing Assistant for the existing entry under column 12 relating to promotion, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion ; Data Entry Operators working in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis."

[No. A-12034/11/87-Est.]
H. S. SHARMA, Under Secy.